प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1007 सन 2021
अनवान :–

1. ओम प्रकाश पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
3. दानाराम पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
4. बनवारी पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
5. भंवरी पत्नी रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
6. गंगा पुत्री रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 86/72 की कुल 5.0200हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मोजा टीडियासर के खाता संख्या 200/195 की कुल 1.7830हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,6 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मौटाराम के नाम से दर्ज थी मोटाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो प्रतिवादी संख्या 3 ,4 एवं वादी के पिता रूपाराम के नाम दर्ज हुई एवं वादी के पिता रूपाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,6 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है ।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की माता/बहने है एवं रूपाराम की पत्नी/ पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की माता बहन के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजों के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 86/72 की कुल 5.0200हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज है एवं रोही मोजा टीडियासर के खाता संख्या 200/195 की कुल 1.7830हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,6 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी अर्थात वादी के दादा/पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि विरास्तन से उनके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य हे ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 200/195 के खसरा नं. 230/1 का कुल क्षेत्रफल 1.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 230/1 मिन पूर्व की 0.5943 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 230/1 के मिन पश्चिम की 0.5943 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 230/1 के मिन मध्य की 0.5943 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 86/73 के खसरा नं. 321 का कुल क्षेत्रफल 5.0200 है0 भूमि में प्रतिवाद संख्या 5 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 321 के मिन उत्तर की 1.6733 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 321 के मिन मध्य की 1.6733 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व खसरा नं. 321 मिन दक्षिण की शेष 1.6733 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.5577 है0 वादी के नाम दर्ज की जावे मिन मध्य की 0.5577 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा मिन दक्षिण की 0.5577 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .टीडियासर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओम प्रकाश पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राकेश कुमार पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
3. दानाराम पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
4. बनवारी पुत्र रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
5. भंवरी पत्नी रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
6. गंगा पुत्री रूपराम जाति सुथार निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1007 सन 2021 निर्णय दिनांक– 01.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 200/195 के खसरा नं. 230/1 का कुल क्षेत्रफल 1.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 230/1 मिन पूर्व की 0.5943 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 230/1 के मिन पश्चिम की 0.5943 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 230/1 के मिन मध्य की 0.5943 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 86/73 के खसरा नं. 321 का कुल क्षेत्रफल 5.0200 है0 भूमि में प्रतिवाद संख्या 5 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 321 के मिन उत्तर की 1.6733 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 321 के मिन मध्य की 1.6733 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व खसरा नं. 321 मिन दक्षिण की शेष 1.6733 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.5577 है0 वादी के नाम दर्ज की जावे मिन मध्य की 0.5577 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा मिन दक्षिण की 0.5577 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....टीडियासर